न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—कृष्ण गोपाल जोजन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 166/2017 **दायर दिनांकः 21/11/2017**

उनवान

1. बालूराम आयु 52 वर्ष पुत्र उद्दालाल जाति माली निवासी रायपुरिया पोस्ट बडोरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0) **वादी**

बनाम

1. मुकेश आयु 28 वर्ष पुत्र अमरा निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू हाल निवासी मकान नं0 256 मदनगिरी पुरानी दिल्ली
2. सुरेश आयु 25 वर्ष पुत्र अमरा निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू हाल निवासी मकान नं0 256 मदनगिरी पुरानी दिल्ली
3. चन्दाबाई आयु 30 वर्ष पुत्री अमरा पत्नी धर्मपाल हाल निवासी विनोभा भावे नगर खड़ा गणेश जी के पास कोटा जिला कोटा (राज0)
4. कुसुम आयु 24 वर्ष पुत्री अमरा पत्नी जमनालाल हाल निवासी मकान नं0 2—एच—51 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा जिला कोटा (राज0)
5. अनीता आयु 22 वर्ष पुत्री अमरा निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू हाल निवासी प्रथम, द्वितीय 319, 320 जतनसिंह, भूलेसिंह की गली, लाल किले के पास मदनगिरी नई दिल्ली
6. मोहनी बाई उर्फ मोनादेवी आयु 55 वर्ष पत्नी स्व0 अमरा जाति माली निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा हाल निवासी प्रथम, द्वितीय 319, 320 जतनसिंह, भूलेसिंह की गली, लाल किले के पास मदनगिरी नई दिल्ली
7. आशाराम आयु 55 वर्ष पुत्र भंवरया जाति माली निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू हाल निवासी टांचा तह0 छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)
8. हीरालाल आयु 47 वर्ष पुत्र भंवरया जाति माली निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी मकान नं0 281 कच्ची बस्ती मेन चोराहा सन्तोषी नगर कोटा जिला कोटा (राज0)
9. लटूरलाल आयु 45 वर्ष पुत्र भंवरया जाति माली निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

10. घनश्याम आयु 42 वर्ष पुत्र भंवरया जाति माली निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी मकान नं0 281 कच्ची बस्ती मेन चोराया सन्तोषी नगर कोटा जिला कोटा (राज0)
11. पुष्पाबाई आयु 40 वर्ष पुत्री भंवरया पत्नी हंसराज जाति माली निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी मकान नं0 321 छावनी रामचन्द्रपुरा दीपक मेड़िकल की गली कोटा जिला कोटा (राज0)
12. रामीबाई आयु 85 वर्ष पत्नी स्व0 भंवरया जाति माली निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी मकान नं0 281 कच्ची बस्ती मेन चोराहा सन्तोषी नगर कोटा जिला कोटा (राज0)
13. चन्द्रकला आयु 32 वर्ष पुत्री सीताराम पत्नी श्रीकिशन जाति माली निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू हाल निवासी सरकारी अस्पताल के पीछे छीपाबड़ौद तह0 छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)
14. मथुरालाल आयु 45 वर्ष पुत्र स्व0 रामकिशन जाति माली
15. मोजीराम आयु 43 वर्ष पुत्र स्व0 रामकिशन जाति माली
16. गोरधन आयु 41 वर्ष पुत्र स्व0 रामकिशन जाति माली हाल निवासीगण कोटड़ी तह0 सांगोद जिला कोटा (राज0)
17. बसन्तीबाई आयु 50 वर्ष पुत्री रामकिशन पत्नी स्व0 बजरंगलाल जाति माली निवासी बागेर पो0 बागेर तह0 खानपुर जिला झालावाड़ (राज0)
18. मन्जूबाई आयु 48 वर्ष पुत्री रामकिशन पत्नी ओमप्रकाश जाति माली हाल निवासी मांगरोल रोड़ गोपाल कॉलोनी बारां
19. गिर्राज आयु 41 वर्ष पुत्र गोपाल जाति माली निवासी रायपुरिया पो0 बड़ौरा तह0 अटरू जिला बारां (राज0)
20. रामस्वरूप आयु 48 वर्ष पुत्र स्व0 प्रभूलाल जाति माली निवासी बागेर पो0 बागेर तह0 खानपुर जिला झालावाड़ (राज0)
21. गोरीशंकर आयु 44 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति माली निवासी रायपुरिया पो0 बड़ौरा तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

22. मदनलाल आयु 80 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति ब्राहमण निवासी बड़ौरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

23. सीमाबाई आयु 50 पत्नी ओमप्रकाश जाति धाकड़ निवासी अचंरावा पो0 कटावर तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

24. शाखा प्रबन्धक महोदय बी आर के जी बी शाखा कटावर तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

25. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

आदेश दिनाक : 04/03/2020

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वादी के पूर्वजों के खाते की आराजी को वर्तमान में दो भागों में विभाजन कर दिया गया हैं। जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 2072 ग्राम रायपुरिया पटवार हल्का बड़ौरा के खाता संख्या 11 के ख0न0 1509 का रकबा 0.23 है0 ख0न0 1510 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 1511 का रकबा 0.10 है0, ख0न0 1513 का रकबा 0.22 है0, ख0न0 1514 का रकबा 0.20 है0, ख0न0 1515 का रकबा 0.22 है0 कुल किता 6 का रकबा 1.02 है0 तथा जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम बड़ौरा के खाता संख्या 47 के ख0न0 1453 का रकबा 1.19 है0, ख0न0 1455 का रकबा 2.41 है0, ख0न0 1456 का रकबा 1.21 है0 कुल किता 3 का रकबा 4.81 है0 अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता हैं जिसमें वादी के पिता उद्दा का नाम आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने सहवन से दर्ज नहीं करने की त्रुटि की हैं। नारायण के वारिसान का हिस्सा 1/16–1/16 दर्ज होना चाहिये था परन्तु आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने भंवरया व रामकिशन का हिस्सा 1/16–1/16 सही दर्ज कर दिया परन्तु उद्दा का हिस्सा 1/16 में नाम दर्ज नहीं करके केवल मात्र अमरा का हिस्सा 1/8 दर्ज कर दिया जबकि अमरा का हिस्सा 1/16 दर्ज होना चाहिये था तथा 1/16 हिस्सा उद्दा के वारिसान के दर्ज

होना चाहिये था। जिसका वादी अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार हैं :—

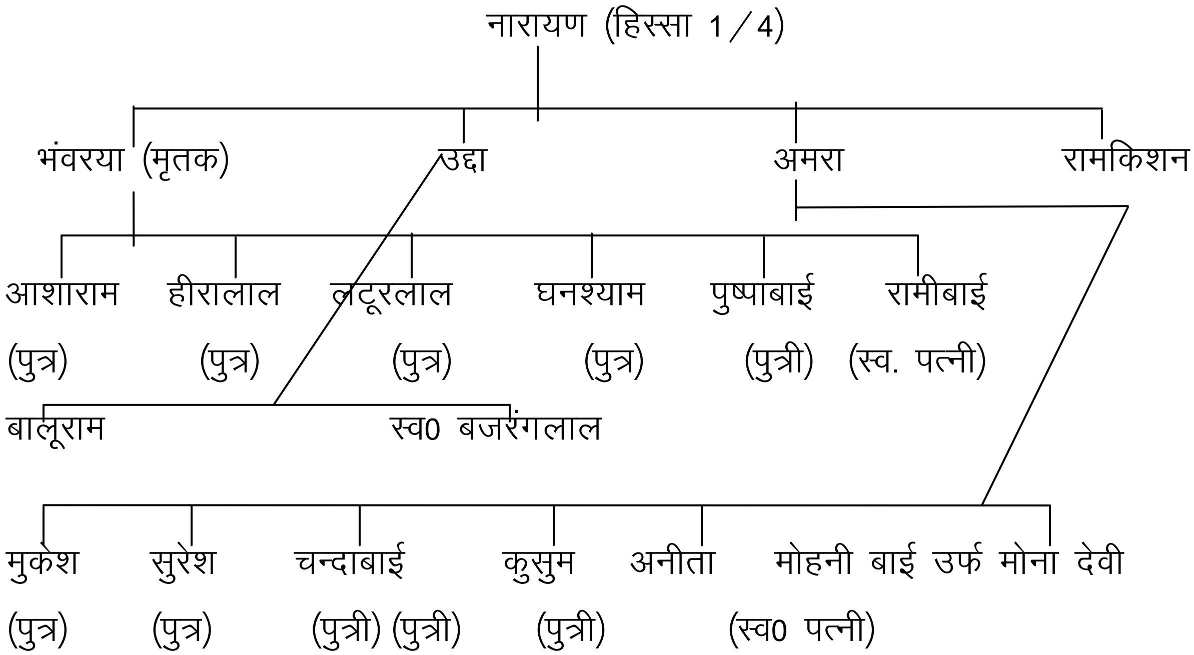

दौराने चतुवर्षीय जमाबन्दी बनाते समय सम्वत् 2061 से 2064 की जमाबन्दी खाता संख्या 44 में अन्य सहखातेदारान के साथ उद्दा का नाम दर्ज नहीं करने की त्रुटि आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण ने की हैं। जिससे वादी को अपने स्वामित्व एवं हक अधिकारों से वंचित होना पड़ रहा हैं जबकि वादी आज भी अपने हिस्से 1/16 की आराजी को काबिज काश्त करता चला आ रहा हैं। वाके ग्राम एवं माल बडौरा की खाता संख्या 316 का ख0न0 1453 का रकबा 1.19 है0, ख0न0 1455 का रकबा 2.41 है0, ख0न0 1456 का रकबा 1.21 है0, ख0न0 1509 का रकबा 0.23 है0, ख0न0 1510 का रकबा 0.05 है0 गैर मुमकिन चाहा, ख0न0 1511 का रकबा 0.10 है0, ख0न0 1513 का रकबा 0.22 है0, ख0न0 1514 का रकबा 0.20 है0, ख0न0 1515 का रकबा 0.22 है0, कुल किता 9 का रकबा 5.83 है0 आराजी भंवरया, उद्दा, अमरा, रामकिशन पिता नारायण हिस्सा 1/4 हिस्सा बराबर, रामपाल, गोपाल पिता गणेश हिस्सा 1/4 हिस्सा बराबर प्रभूलाल पुत्र गेंन्दया हिस्सा 1/4, चन्दया पुत्र सुगना हिस्सा 1/4 जाति माली सा0 रायपुरिया मजरा देह के दर्ज खाता चली आ रही थी। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2053 से 2056, 2057 से 2060, 2061 से 2064, 2073 से 2076 एवं नकल जमाबन्दी सेटलमेन्ट विभाग एवं मिलान क्षैत्रफल वाद पत्र के साथ संलग्न हैं। जो काबिल गौर हैं। वादी के भाई स्व0 बजरंगलाल ने उसके जीवनकाल में ही उसके हिस्से की जमीन

वादी को 30,000/—रूपये में दिनांक 14/06/2002 को रूबरू गवाहन 10/—रूपये के स्टाम्प पर आलेखित कर बेचान कर दी थी तथा स्व0 बजरंगलाल की विवाहिता पत्नी अपने बच्चों के साथ अन्यत्र नाते जा चुकी हैं। इसलिए स्व0 बजरंगलाल के वारिसान को उक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। बेचान नामा, स्टाम्प की प्रति साथ में संलग्न हैं। सहखातेदारान 7 लगायत 23 से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया हैं इसलिए उक्त वाद में उनको फोरमल पक्षकार बनाया गया हैं। इसलिए वादीगण प्रतिवादी क्रम 7 लगायत 23 की तलबी नहीं करवाना चाहते हैं। बिना सहायता न्यायालय वादी का नाम वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में दर्ज नहीं किया जा सकता इसलिए वादी को उक्त वर्णित आराजी में हिस्सा 1/16 का खातेदार कृषक घोषित किया जावें तथा अमरा के वारिसान को हिस्सा 1/8 के स्थान पर 1/16 का खातेदार कृषक घोषित किया जाना न्यायोचित हैं। जिसका वादी अधिकारी एवं नॉलिशी हैं। राजस्थान सरकार जर्ये जिला कलेक्टर महोदय बारां को 80 सी0पी0सी0 का विधिक नोटिस प्रेषित कर दिया हैं परन्तु मामला आवश्यक प्रकृति का होने के कारण 80 (2) सी0पी0सी0 के प्रार्थना पत्र के साथ यह वाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया हैं। वाद कारण प्रथम बार आपके अधीनस्थ कर्मचारीगण द्वारा सम्वत् 2061 से 2064 की जमाबन्दी में वादी के पिता उद्दा का नाम दर्ज नहीं करने पर तथा दिनांक 15/10/2017 को वादी पटवार हल्का से के0सी0सी0 बनवाने हेतु नकल लेने गया तब वादी को जमाबन्दी में नाम नहीं होने की जानकारी होने पर तथा रिकॅार्ड रूम से नकले प्राप्त होने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ हैं। विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम एवं माल रायपुरिया एवं बडौरा तह0 अटरू में स्थित होने की वजह से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त हैं। प्रतिवादीगण ने बी आर के जी बी शाखा कटावर से कृषि ऋण ले रखा हैं। इसलिए बैंक को प्रतिवादी क्रम 24 बनाया गया हैं। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा उक्त वाद खातेदारी की घोषणा का होने की वजह से उक्त वाद में तहसीलदार साहब अटरू को प्रतिवादी क्रम 25 आवश्यक पक्षकार बनाया गया हैं। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं। वाद अवधि मध्य तथा उचित न्याय शुल्क पर पेश हैं जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य हैं।

अतः माननीय न्यायालय में वादी वाद प्रस्तुत कर निवेदन करता हैं कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 पारित की जावें कि :—

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी रायपुरिया के खाता

संख्या 11 के ख0न0 1509 का रकबा 0.23 है0 ख0न0 1510 का रकबा 0.05 है0, ख0न0 1511 का रकबा 0.10 है0, ख0न0 1513 का रकबा 0.22 है0, ख0न0 1514 का रकबा 0.20 है0, ख0न0 1515 का रकबा 0.22 है0 कुल किता 6 का रकबा 1.02 है0 तथा ग्राम बड़ौरा के खाता संख्या 47 के ख0न0 1453 का रकबा 1.19 है0, ख0न0 1455 का रकबा 2.41 है0, ख0न0 1456 का रकबा 1.21 है0 कुल किता 3 का रकबा 4.81 है0 की आराजी पर वादी को हिस्सा 1/16 तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 को हिस्सा 1/8 के स्थान पर हिस्सा 1/16 की आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किया जावें।

(ब) यह कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें कि वह वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित ग्राम रायपुरिया व बड़ौरा की आराजी को कही रहन, बैचान, खुर्द–बुर्द नहीं करें।

(स) यह कि दोराने वाद प्रतिवादीगण वादी के कब्जे काश्त की आराजी पर कब्जा कर ले तो उन्हें बेदखल कर कब्जा पुनः वादी को दिलाया जावें।

(द) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ल 6 व 24 बाबजूद सूचना उपस्थित नही होने के कारण एक तरफा कार्यवाही की गई, अभिभाषक वादी द्वारा प्रतिवादी क्रम 7 ल 23 तक कोई रिलीफ नही चाही गई प्रतिवादी क्रम 25 को अवसर दिये जाने पर भी जबाव दावा पेश नही करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया।

साक्ष्यवादी के अन्तर्गत PW_1 से PW_3 के शपथ पत्र पेश किया गया तथा रिकार्ड EXP करवाया गया।

अभिभाषक वादी की एक तरफा बहस सुनी, अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया तथा कथन किया गया कि वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी रायपुरिया के खाता सं0 11 की किता 6 रकबा 1.02 है0 तथा ग्राम बडौरा की खाता संख्या 47 किता 3 रकबा 4.81 हे0 आराजी पर वादी को 1/16 तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 को 1/8 के स्थान पर हिस्सा 1/16 का खातेदार कृषक घोषित किया जावें। तथा पत्रावली का अवलोकन

किया गया। विवादित आराजी जमाबन्दी संवत् 2069 से 2072 ग्राम रायपुरिया की खाता संख्या 11 की कुल किता 6 कुल रकबा 1.02 है0 तथा जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 ग्राम बडौरा की खाता संख्या 47 किता 3 रकबा 4.81 है0 भूमि दर्ज है, शामलाती खाते में दर्ज है, जिसमें वादी के पिता उद्दा का नाम अधिनस्थ कर्मचारीयान ने सहवन से दर्ज नही किया गया जबकि नारायण के वारिसयान का हिस्सा 1/16–1/16 दर्ज होना चाहिये था। सजरा अनुसार उदा का हिस्सा 1/16 में नाम दर्ज नही करके केवल मात्र अमरा का हिस्सा 1/8 दर्ज कर दिया जबकि अमरा का हिस्सा 1/16 दर्ज होना चाहिये था तथा 1/16 हिस्सा उदा के वारिसयान के दर्ज होना चाहिये था

साक्ष्य व रिकार्ड अनुसार वादी के हिस्सा 1/16 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था जो दर्ज नही हुआ। न्यायहित में वादी का वाद स्वीकार योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम रायपुरिया की खाता संख्या 11 किता 6 रकबा 1.02 है0 तथा ग्राम बडौरा की खाता संख्या 47 किता 3 रकबा 4.81 है0 में वादी को 1/16 तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 को हिस्सा 1/8 के स्थान पर हिस्सा 1/16 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमद दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री कृष्णगोपाल जोजन (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 166/2017

उनवान

1. बालूराम आयु 52 वर्ष पुत्र उद्दालाल जाति माली निवासी रायपुरिया पोस्ट बडोरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

वादी

बनाम

1. मुकेश आयु 28 वर्ष पुत्र अमरा निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू हाल निवासी मकान नं0 256 मदनगिरी पुरानी दिल्ली
2. सुरेश आयु 25 वर्ष पुत्र अमरा निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू हाल निवासी मकान नं0 256 मदनगिरी पुरानी दिल्ली
3. चन्दाबाई आयु 30 वर्ष पुत्री अमरा पत्नी धर्मपाल हाल निवासी विनोभा भावे नगर खड़ा गणेश जी के पास कोटा जिला कोटा (राज0)
4. कुसुम आयु 24 वर्ष पुत्री अमरा पत्नी जमनालाल हाल निवासी मकान नं0 2–एच–51 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा जिला कोटा (राज0)
5. अनीता आयु 22 वर्ष पुत्री अमरा निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू हाल निवासी प्रथम, द्वितीय 319, 320 जतनसिंह, भूलेसिंह की गली, लाल किले के पास मदनगिरी नई दिल्ली
6. मोहनी बाई उर्फ मोनादेवी आयु 55 वर्ष पत्नी स्व0 अमरा जाति माली निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा हाल निवासी प्रथम, द्वितीय 319, 320 जतनसिंह, भूलेसिंह की गली, लाल किले के पास मदनगिरी नई दिल्ली
7. आशाराम आयु 55 वर्ष पुत्र भंवरया जाति माली निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू हाल निवासी टांचा तह0 छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)
8. हीरालाल आयु 47 वर्ष पुत्र भंवरया जाति माली निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी मकान नं0 281 कच्ची बस्ती मेन चोराहा सन्तोषी नगर कोटा जिला कोटा (राज0)
9. लटूरलाल आयु 45 वर्ष पुत्र भंवरया जाति माली निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)
10. घनश्याम आयु 42 वर्ष पुत्र भंवरया जाति माली निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी मकान नं0 281 कच्ची बस्ती मेन चोराया सन्तोषी नगर कोटा जिला कोटा (राज0)
11. पुष्पाबाई आयु 40 वर्ष पुत्री भंवरया पत्नी हंसराज जाति माली निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी मकान नं0 321 छावनी रामचन्द्रपुरा दीपक मेड़िकल की गली कोटा जिला कोटा (राज0)
12. रामीबाई आयु 85 वर्ष पत्नी स्व0 भंवरया जाति माली निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू जिला बारां हाल निवासी मकान नं0 281 कच्ची बस्ती मेन चोराहा सन्तोषी नगर कोटा जिला कोटा (राज0)
13. चन्द्रकला आयु 32 वर्ष पुत्री सीताराम पत्नी श्रीकिशन जाति माली निवासी रायपुरिया पोस्ट बड़ोरा तहसील अटरू हाल निवासी सरकारी अस्पताल के पीछे छीपाबड़ौद तह0 छीपाबड़ौद जिला बारां (राज0)
14. मथुरालाल आयु 45 वर्ष पुत्र स्व0 रामकिशन जाति माली
15. मोजीराम आयु 43 वर्ष पुत्र स्व0 रामकिशन जाति माली
16. गोरधन आयु 41 वर्ष पुत्र स्व0 रामकिशन जाति माली हाल निवासीगण कोटड़ी तह0 सांगोद जिला कोटा (राज0)

17. बसन्तीबाई आयु 50 वर्ष पुत्री रामकिशन पत्नी स्व0 बजरंगलाल जाति माली निवासी बागेर पो0 बागेर तह0 खानपुर जिला झालावाड़ (राज0)

18. मन्जूबाई आयु 48 वर्ष पुत्री रामकिशन पत्नी ओमप्रकाश जाति माली हाल निवासी मांगरोल रोड़ गोपाल कॉलोनी बारां

19. गिर्राज आयु 41 वर्ष पुत्र गोपाल जाति माली निवासी रायपुरिया पो0 बड़ौरा तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

20. रामस्वरूप आयु 48 वर्ष पुत्र स्व0 प्रभूलाल जाति माली निवासी बागेर पो0 बागेर तह0 खानपुर जिला झालावाड़ (राज0)

21. गोरीशंकर आयु 44 वर्ष पुत्र प्रभूलाल जाति माली निवासी रायपुरिया पो0 बड़ौरा तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

22. मदनलाल आयु 80 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति ब्राहमण निवासी बड़ौरा तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

23. सीमाबाई आयु 50 पत्नी ओमप्रकाश जाति धाकड़ निवासी अचंरावा पो0 कटावर तहसील अटरू जिला बारां (राज0)

24. शाखा प्रबन्धक महोदय बी आर के जी बी शाखा कटावर तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

25. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू तह0 अटरू जिला बारां (राज0)

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 188, आर0टी0एक्ट0

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई ....X................. रूबरू...............X...............................

बहाजिर :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

प्रतिवादीः– विद्वान अभिभाषक श्री पेरोकार सरकार।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। विवादित आराजी ग्राम रायपुरिया की खाता संख्या 11 किता 6 रकबा 1.02 है0 तथा ग्राम बडौरा की खाता संख्या 47 किता 3 रकबा 4.81 है0 में वादी को 1/16 तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 6 को हिस्सा 1/8 के स्थान पर हिस्सा 1/16 का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमद दरामद करें।

(कृष्णगोपाल जोजन)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X................ बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X...

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 04.03.2020 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Krishna Gopal Jojan
Date: 2020.04.01 15:29:56 IST
Reason: SelfAttested
Location: